उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of uttar Pradesh Undertaking
14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–1959–शि0जाँ0–05(एफ) / पाकालि / 18–7(246)05एफ / 2009 दिनांक: 30 अगस्त, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121), सहायक अभियन्ता की तैनाती "महाप्रबन्धक (पारेषण–पूर्व), इलाहाबाद के स्थानान्तरण आदेश संख्या–1548–महा0(पा0पू0)ई–10 / गजटेड, दिनांक 23.08.2005 द्वारा मुख्य अभियन्ता (पारेषण–पूर्व) के अधीन सहायक अभियन्ता (परिचालन), विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, आजमगढ़ के पद पर की गई, जिसके अनुपालन में श्री गौतम ने दिनांक 18.10.2005 को नव तैनाती स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण किया तथा अगले दिन दिनांक 19.10.2005 से बिना सूचना के अपने कार्यालय से अनुपस्थित हो गये। इस सम्बन्ध में श्री गौतम को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आजमगढ़ द्वारा पत्र संख्या–1013–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 28.11.2005, संख्या–1082–वि0–400–के0वी0 उ0के0खं0 (आ0), दिनांक 16.12.2005, संख्या–153–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 15.02.2006 द्वारा पंजीकृत पत्रों द्वारा कार्यस्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। श्री गौतम के उपस्थित न होने पर अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, आजमगढ़ के पत्र संख्या–400 / वि0–400–के0वी0उ0के0खं0 (आ0) / सूचना, दिनांक 30.03.2006 द्वारा सूचना दैनिक जागरण, वाराणसी व अमर उजाला, वाराणसी में प्रकाशित करायी गयी।

श्री गौतम द्वारा चिकित्सा अवकाश के लिये प्रार्थना–पत्र देते हुये दिनांक 22.08.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया। श्री गौतम का चिकित्सा प्रमाण–पत्र चिकित्सा परिषद, आजमगढ़ को पत्र संख्या–743–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 24.08.2006 को भेजा गया, जिसकी प्रति श्री गौतम को इस आशय के साथ प्रेषित की गयी कि श्री गौतम चिकित्सा परिषद के सम्मुख उपस्थित होकर उनकी अनुशंसा प्रस्तुत करें, जो कि श्री गौतम द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात् श्री गौतम पुनः बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होते रहे, जिसके लिये अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आजमगढ़ द्वारा निम्नलिखित पत्रों द्वारा श्री गौतम को कार्यस्थल पर उपस्थित होने, चिकित्सा परिषद की अनुशंसा कराने तथा कार्यालय को अपना पत्राचार का पता सूचित करने हेतु पत्र संख्या–441 / E.400K.V.S/S D(A)/E-1/ Sri Guatam/AE/PF/Dated 03.04.2007, संख्या–630–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 21.05.2007, संख्या–660–वि0–400–के0वी0 उ0के0खं0(आ0), दिनांक 30.05.2007, संख्या–836–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 30.07.2009, संख्या–37– वि0– 400– के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनाक 08.01.2008, संख्या–100–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 22.01.2008, संख्या–177–(बी)–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 08.02.2008, संख्या–382–वि0–

क्रमश.....2

400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 24.03.2008, संख्या–639–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 17.05.2008, संख्या–699–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 30.05.2008, संख्या–926–वि0–400–के0वी0 उ0 के0खं0(आ0), दिनांक 15.07.2008 द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री गौतम दिनांक 01.08.2008 से बिना किसी सूचना/प्रार्थना–पत्र के अपने कार्यालय से उपस्थित रहे, जिसके लिये अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आजमगढ़ द्वारा पत्र संख्या–1139–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 14.08.2008, संख्या–1297–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 20.09.2008, संख्या–1401–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 13.10.2008 तथा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, आजमगढ़ के पत्र संख्या–3436–वि0प्रे0मं0(आ0)पी0एफ0 श्री राजेश कुमार गौतम, दिनांक 25.010.2008 द्वारा श्री गौतम को कार्यस्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु श्री गौतम अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुये। अतएव् अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आजमगढ़ द्वारा सूचना दैनिक देवव्रत में दिनांक 20.10.2008 व दैनिक जागरण, वाराणसी में दिनांक 21.10.2008 को प्रकाशित की गयी, जिसके सन्दर्भ में श्री गौतम **दिनांक 16.02.2009** को अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हुये तथा दिनांक 01.08.2008 से 15.02.2009 तक का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया। श्री गौतम **दिनांक 27.03.2009** से बिना सूचना/अनुमति के कार्यस्थल से अनुपस्थित हो गये, जिसके लिये श्री गौतम को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आजमगढ़ के पत्र संख्या–520–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 04.04.2009, संख्या–596–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 28.04.2009, संख्या–684–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0 (आ0), दिनांक 18.05.2009, संख्या–780–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 09.06.2009, संख्या–887–वि0–400–के0वी0 उ0के0खं0(आ0), दिनांक 04.07.2009, संख्या–1199–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 05.09.2009, संख्या–1674–वि0–400–के0वी0उ0के0खं0(आ0), दिनांक 10.12.2009 द्वारा श्री गौतम को कार्यस्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु श्री गौतम अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुये।

श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121), सहायक अभियन्ता द्वारा बार–बार बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति, कार्य के प्रति उदासीनता व अवेहलना बरतने एवं अनुशासनहीनता के दृष्टिगत उप सचिव (अ0प्र0–04)के पत्र संख्या–1921/पाकालि/2009–4(95)/86, दिनांक 29.06.2009 द्वारा श्री गौतम के विरूद्ध नियमानुसार जाँच समिति के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु प्रकरण अनुशासनिक इकाई को सन्दर्भित किया गया।

कारपोरेशन के पत्र संख्या–115–शि0जाँ0–05एफ/पाकालि/2011–7(246)05एफ/2009, दिनांक 22.06.2011 द्वारा उप सचिव (अ0प्र0–04) से श्री गौतम की व्यक्तिगत पत्रावली तथा सेवा विवरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। अधिष्ठान अनुभाग एवं श्री गौतम के नियन्त्रक अधिकारियों से प्राप्त सूचनानुसार पाया गया कि वे बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से दिनांक 19.10.2005 से 21.08.2006 तक, 01.08.2008 से 12.09.2008 तक, 27.03.2009 से 03.12.2011 तक, 05, 06, 07 एवं 08 अप्रैल, 2011 को 11, 12, 13 व 14 अप्रैल 2011 को, 16, 17, 18, 19 व 20 अप्रैल 2011 को 23.04.2011 से 30.04.2011 01, 02 व 03 मई, 2011 को, 06, 07 व 08 मई, 2011 को 10.05.2011 से 15.05.2011 तक, 17.05.2011 से 31.05.2011 तक 03.06.2011 से

क्रमश.....3

06.06.2011 तक, 09, 10 व 11 जून, 2011 को, 14 व 15 जून, 2011 को, 18.06.2011 को 22.06.2011 से 01.07.2011 तक, 04 व 05 जुलाई, 2011 को 08.07.2011 को, दिनांक 10.07.2011 से आज तक बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित है।

श्री गौतम द्वारा उपरोक्त तिथियों एवं पूर्व में भी बिना अनुमति के बार–बार कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के साथ–साथ मनमाने ढंग से कार्य करने तथा उपकेन्द्र/कारपोरेशन के अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य में बाधा उत्पन्न होने, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आजमगढ़ एवं अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ द्वारा प्रेषित पत्रों तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना को संज्ञान न लेने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मूल नियमावली 1942 के नियम 18 में निर्दिष्ट प्राविधानुसार सेवा से पॉच वर्ष से अधिक अनुपस्थित रहने पर अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी नियमों के उपबन्ध आकृष्ट होने के आलोक में, श्री गौतम के विरूद्ध जाँच समिति के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु प्रकरण कारपोरेशन के पत्र संख्या– 2073–शि0जाँ0–05एफ/पाकालि/2013–7(246)05एफ/2009, दिनांक 31.08.2013 द्वारा मुख्य अभियन्ता (जाँच समिति), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को सन्दर्भित किया गया।

जाँच समिति ने मुख्य अभियन्ता (पा0पू0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, जार्ज टाउन, इलाहाबाद को पत्र संख्या–2197–मु0अ0जाँ0स0–द्वि0/पाकालि/2013/{396–9/13}/(2073–05एफ–9/13), दिनांक 24.10.2013 द्वारा श्री गौतम को सम्बोधित आरोप पत्र संख्या–2196–मु0अ0जाँ0स0–द्वि0/पाकालि/2013/{396–9/13}/(2073–05एफ–9/13), दिनांक 23.10.2013 द्वारा हस्तगत कराने हेतु प्रेषित किया, जिसमें श्री गौतम को निम्नवत् आरोपित किया गया :–

"जब आप विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आजमगढ़ में सहायक अभियन्ता (परिचालन) के पद पर तैनात थे, तब उपकेन्द्र में विभिन्न अवधियों में बिना किसी सूचना के अपने कार्यस्थल से प्रायः गायब/अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में आपको निम्नवत् आरोपित किया जाता है :–

आरोप संख्या 01 :–

"महाप्रबन्धक (पारेषण–पूर्व), इलाहाबाद के स्थानान्तरण आदेश संख्या–1548–महा0(पा0पू0)ई–10/ गजटेड, दिनांक 23.08.2005 के द्वारा 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, आजमगढ़ में तैनाती की गई थी, जिसके अनुपालन में आपने दिनांक 18.10.2005 को कार्यभार ग्रहण किया था एवं अगले दिन दिनांक 19.10.2005 से बिना सूचना के अनुपस्थित हो गये। इस सम्बन्ध में कई पंजीकृत पत्रों से उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये, तदुपरान्त समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की गई। आप बिना सूचना दिये कार्यस्थल से निम्न तिथियों को अनुपस्थित रहे जिससे उपकेन्द्र का कार्य प्रभावित हुआ जो घोर लापरवाही का द्योतक है। अनुपस्थित विवरण निम्नवत् है :–

19.10.2005 से 21.08.2006 तक, 01.08.2008 से 12.09.2008 तक, 14.06.2008 से 19.09.2008 तक, 27.03.2009 से 30.02.2011 तक, 05, 06, 07 एवं 08 अप्रैल, 2011 को 11, 12, 13 व 14 अप्रैल 2011 को, 16, 17, 18, 19 व 20 अप्रैल 2011 को 23.04.2011 से 30.04.2011 01, 02 व 03 मई, 2011 को, 06, 07 व 08 मई, 2011 को 10.05.2011 से 15.05.2011 तक, 17.05.2011 से 31.05.2011 तक 03.06.2011 से 06.06.2011 तक,

क्रमश.....4

09, 10 व 11 जून, 2011 को, 14 व 15 जून, 2011 को, 18.06.2011 को 22.06.2011 से 01.07.2011 तक, 04 व 05 जुलाई, 2011 को 08.07.2011 को, दिनांक 10.07.2011 से आगे।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, आजमगढ़ द्वारा आपको दिनांक 09, 10, 15, 21, 22 अप्रैल 2011, 04, 05, 09, 16 मई 2011, 01, 02, 07, 08, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, जून 2011 तथा 02, 03, 06, 07, व 09 जुलाई 2011 तक निरन्तर सेवा प्रदान करने की संस्तुति प्रदान कर दी गई थी तथा उपरोक्त माह के शेष दिनांक को आप बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। वर्तमान में भी आप दिनांक 10.07.2011 से अनुपस्थित है।

अतः आप अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों में शिथिलता बरतने, बिना अनुमति के बार–बार कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने, मनमाने ढंग से कार्य करने तथा उपकेन्द्र/कारपोरेशन का अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य को बाधित करने एवं उ0प्र0 राज्य सरकारी आचरण नियमावली, 1956 के उल्लघंन हेतु उत्तरदायी हैं।"

जाँच समिति ने पत्र संख्या–2318, दिनांक 07.12.2013 द्वारा मुख्य अभियन्ता (पा0पू0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, जार्ज टाउन, इलाहाबाद को आरोप पत्र की तामीली हेतु अनुरोध किया गया। मुख्य अभियन्ता (पा0पू0), इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या–2545, दिनांक 06.12.2013 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, हाफिजपुर, आजमगढ़ के पत्र संख्या–2660, दिनांक 22.11.2013 (आरोप पत्र संलग्नक सहित) को संलग्न करते हुये सूचित किया कि श्री गौतम के निवास, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आवास संख्या–10, टाईप चतुर्थ, सारनाथ, वाराणसी में ताला बन्द पाया गया एवं दूसरे निवास स्थान डा0 विद्या सागर सिंह, सी–7/62 घोड़ा हास्पिटल, कैम्पस, सेमपारा, लहुरावीर, वाराणसी के पते पर उनकी पत्नी ने बताया कि श्री गौतम कई दिनों से घर पर नहीं आ रहे है।

जाँच समिति–द्वितीय के पत्र संख्या–2336, दिनांक 13.12.2013 द्वारा श्री गौतम को उक्त आरोप पत्र कार्यालय से प्राप्त करने हेतु उनके दोनों निवास स्थान पर पंजीकृत डाक द्वारा पुनः भेजा गया, जिस पर डाक विभाग द्वारा इस टिप्पणी के साथ वापस लौटा दिया गया कि श्री गौतम घर छोड़कर चले गये है। साथ ही श्री गौतम को आरोप पत्र तामील न होने के कारण जाँच समिति द्वारा निर्गत आरोप पत्र को तीन समाचार पत्रों यथा – (1) दैनिक जागरण, वाराणसी, दिनांक 05.12.2014 (2) देवव्रत, आजमगढ़, दिनांक 03.12.2014 एवं (3) देश की आन, आजमगढ़ दिनांक 26.11.2014 में प्रकाशित कराया गया।

कारपोरेशन के पत्र संख्या–1252–शि0जाँ0–05एफ/पाकालि/2015–7(246)05ई–05एफ/09, दिनांक 15.09.2015 द्वारा जाँच समिति–द्वितीय को, उनके द्वारा पूर्व में निर्गत आरोप पत्र दिनांक 23.10.2013 तथा इस सन्दर्भ में तीनों समाचार पत्रों यथा – (1) दैनिक जागरण, वाराणसी, दिनांक 05.12.2014 (2) देवव्रत, आजमगढ़, दिनांक 03.12.2014 एवं (3) देश की आन, आजमगढ दिनांक 26.11.2014 में प्रकाशित सूचनाओं को मूल रूप में जाँच समिति द्वारा पत्रांक–2385–मु0अ0जाँ0स0–द्वि0/पाकालि/2013/396(01)–09/13(2073–05एफ–09/13), दिनांक 27.12.2013 द्वारा प्राप्त जाँच आख्या/केस पत्रावली सहित जाँच समिति–द्वितीय को पुनः प्रेषित करते हुये निर्देशित किया गया कि वह उपरोक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित आरोप पत्र के आधार पर पुनः श्री गौतम के प्रकरण में नियमानुसार जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर, अपनी सुस्पष्ट आख्या कारपोरेशन को प्रस्तुत करें।

जाँच समिति ने पत्रांक–2086–मु0अ0जाँ0स0–द्वि0/पाकालि/396–09/13, दिनांक 24.11.2013 द्वारा

क्रमश.....5

पुनरीक्षित जाँच आख्या उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया कि श्री गौतम को प्रश्नगत आरोप पत्र तामील कराने हेतु विधि सम्मत सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भी श्री गौतम द्वारा अभी तक अपना लिखित अभिकथन जाँच समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कोई पत्राचार ही किया गया है।

वर्णित परिस्थितियों में श्री गौतम से उपरोक्त प्रयासों के उपरान्त भी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित न होने, इस सन्दर्भ में उनके द्वारा पत्राचार न किये जाने के आलोक में कारपोरेशन स्तर पर सम्यक् परीक्षण एवं विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में श्री गौतम के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये उन्हें उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील, 1999 के प्रस्तर–3 के दीर्घ शास्तियाँ (तीन) में निहित प्राविधानुसार उक्त कदाचरण हेतु सेवा से हटाना जो भविष्य में सेवा से निरहित नहीं करता हो (Removal from service which does not disqualify from future employment) का दण्ड प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री गौतम के विरूद्ध उक्त एकपक्षीय निर्णय के दृष्टिगत उनके विरूद्ध कारपोरेशन के अन्य अनुशासनिक कार्यवाही के अन्य अनुभागों एवं उनके अधिष्ठान अनुभाग (अ0प्र0–04) से उनके सम्बन्ध में सम्मत अवकाशों की अवधि व प्रकार का विवरण तथा कार्यवाही स्थल से अधिकृत/अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के विवरण उनका स्थाई व स्थानीय पता, सम्पर्क का दूरभाष तथा सेवाधि में तैनाती अवधि (विशेष रूप से अन्तिम कार्य स्थल) का विवरण प्राप्त किया गया। श्री गौतम के अधिष्ठान अनुभाग (अ0प्र0–04) से उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई :–

श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121), सहायक अभियन्ता की अनुपस्थिति अवधि का विवरण

अवधि	अवकाश का प्रकार	अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित	स्थायी/स्थानीय पता	सेवा अवधि में तैनाती का पता
01.10.1991 से 22.11.1991 तक 25.11.1991 से 08.01.1992 तक 12.10.1993 से 31.10.1996 तक 01.07.1999 से 13.11.2001 तक (मु0अ0–पा0पू0) के पत्रांक–290, दिनांक 12.02.2009 द्वारा सूचित	चिकित्सा अवकाश विचाराधीन	अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित	स्थायी पता–आर0के0 सिंह गौतम, क्वार्टर नं0– 519–सी0डी0, इन्डियन इन्स्टीट्यूट कालोनी, मुगलसराय–232101 (उ0प्र0) इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों में एक स्थान पर श्री गौतम द्वारा दिये गये मूल पता–ग्राम–सैदपुर, पोस्ट–डेरवाँ, थाना–कुदरा, जिला– रोहतास, (बिहार) अंकित है।	विद्युत पारेषण खण्ड उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, आजमगढ़
01.11.1991 से 16.06.1993 (593 दिन)	चिकित्सा अवकाश विचाराधीन	–	–	विद्युत पारेषण खण्ड उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, आजमगढ़
01.11.1993 से 31.10.1996 (1095 दिन)	चिकित्सा अवकाश विचाराधीन	–	–	मुख्य अभियन्ता (वितरण), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी
01.11.1996 से 11.03.1997 तक अनिवार्य प्रतीक्षा काल स्वीकृत	कारपोरेशन के पत्रांक– 4349, दिनांक 14.10.1997	–	–	–
दिनांक 30.06.1999 को कार्यभार ग्रहण किया।	–	–	–	–
01.07.1999 से 26.09.2001 तक (कुल 819 दिन)	चिकित्सा अवकाश विचाराधीन	–	–	–

श्री गौतम के अधिष्ठान अनुभाग (अ0प्र0–04) से प्राप्त सूचना के आलोक में कारपोरेशन के पत्र संख्या–1510–शि0जाँ0–05एफ/पाकालि/2018–7(246)05एफ/2009, दिनांक 21.06.2018 द्वारा श्री राजेश कुमार गौतम (86121), सहायक अभियन्ता से सम्बन्धित पाँच निम्नांकित पतों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किये गये :–

(1) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र,
आज़मगढ़।

(2) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र,
आवास संख्या–10, टाइप चतुर्थ,
सारनाथ, वाराणसी।

(3) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
विधासागर सिंह, सी–7/62,
घोड़ा हास्पिटल कैम्पस,
सोनपारा, लहुराबीर,
वाराणसी।

(4) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
क्वार्टर नं0–519–सी0डी0,
इन्डियन इन्स्टीट्यूट कालोनी,
मुगलसराय–232101,
(उ0प्र0)।

(5) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
सहायक ग्राम–सैदपुर, पोस्ट–डेरवां,
थाना–कुदरा, जिला–रोहतास,
(बिहार)।

स्पीड पोस्ट द्वारा श्री गौतम के कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से बिना सूचना के विभिन्न तिथियों एवं 10.07.2011 से अद्यतन (लगभग 07 वर्ष 01 माह से अधिक) अनुपस्थित रहने के दृष्टिगत उनकी सेवायें समाप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित दण्ड के पूर्व अभ्यावेदन/उत्तर/अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। साथ ही साथ प्रश्नगत सूचना/अभ्यावेदन जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के माध्यम से दैनिक जागरण हिन्दी, लखनऊ, दिनांक 24.06.2018 एवं वाराणसी संस्करण हिन्दी, दिनांक 24.06.2018 (वाराणसी संस्करण में आजमगढ़ जनपद भी कवर होता है) तथा टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी), दिनांक 24.06.2018 (वाराणसी तथा आजमगढ जनपद भी कवर करता है), में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्न सूचना प्रकाशित करायी गयी।

"जब आप विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आजमगढ़ में सहायक अभियन्ता (परिचालन) के पद पर तैनात थे, तब उपकेन्द्र में विभिन्न अवधियों में बिना किसी सूचना के अपने कार्यस्थल से प्रायः गायब/अनुपस्थित रहने के दृष्टिगत आपके विरूद्ध इस गम्भीर कदाचरण, कर्तव्य के प्रति अवहेलना एवं अनुशासनहीनता के लिये आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण कारपोरेशन के पत्र संख्या–2073–शि0जाँ0–05एफ/पाकालि/13–7(246)–05ई–05एफ/09, दिनांक 31.08.2013 द्वारा जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को सन्दर्भित किया गया।

क्रमश.....7

जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आरोप पत्र संख्या–2196–मु0अ0जाँ0स0–द्वि0/पाकालि/13/{396–9/13}/(2073–05एफ–9/13),दिनांक 23.10.2013 द्वारा आपको निम्नवत् आरोपित किया गया :–

"महाप्रबन्धक (पारेषण–पूर्व), इलाहाबाद के स्थानान्तरण आदेश संख्या–1548–महा0 (पा0पू0)ई–10/गजटै, दिनांक 23.08.2005 के द्वारा 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, आजमगढ़ में तैनाती की गई थी, जिसके अनुपालन में आपने दिनांक 18.10.2005 को कार्यभार ग्रहण किया था एवं अगले दिन दिनांक 19.10.2005 से बिना सूचना के अनुपस्थित हो गये। इस सम्बन्ध में कई पंजीकृत पत्रों से उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये, तदुपरान्त समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की गई। आप बिना सूचना दिये कार्यस्थल से निम्न तिथियों को अनुपस्थित रहे जिससे उपकेन्द्र का कार्य प्रभावित हुआ जो घोर लापरवाही का द्योतक है। अनुपस्थित विवरण निम्नवत् है :–

19.10.2005 से 21.08.2006 तक, 01.08.2008 से 12.09.2008 तक, 27.03.2009 से 03.12.2011 तक, 05, 06, 07 एवं 08 अप्रैल, 2011 को 11, 12, 13 व 14 अप्रैल 2011 को, 16, 17, 18, 19 व 20 अप्रैल 2011 को 23.04.2011 से 30.04.2011 01, 02 व 03 मई, 2011 को, 06, 07 व 08 मई, 2011 को 10.05.2011 से 15.05.2011 तक, 17.05.2011 से 31.05.2011 तक 03.06.2011 से 06.06.2011 तक, 09, 10 व 11 जून, 2011 को, 14 व 15 जून, 2011 को, 18.06.2011 को 22.06.2011 से 01.07.2011 तक, 04 व 05 जुलाई, 2011 को 08.07.2011 को, दिनांक 10.07.2011 से आज तक।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, आजमगढ़ द्वारा आपको दिनांक 09, 10, 15, 21, 22 अप्रैल 2011, 04, 05, 09, 16 मई 2011, 01, 02, 07, 08, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, जून 2011 तथा 02, 03, 06, 07, व 09 जुलाई 2011 तक निरन्तर सेवा प्रदान करने की संस्तुति प्रदान कर दी गई थी तथा उपरोक्त माह के शेष दिनांक को आप बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। वर्तमान में भी आप दिनांक 10.07.2011 से अनुपस्थित है।

अतः आप अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों में शिथिलता बरतने बिना अनुमति के बार–बार कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने, मनमाने ढंग से कार्य करने तथा उपकेन्द्र/कारपोरेशन का अनुरक्षण एवं परिचालन कार्य को बाधित करने एवं उ0प्र0 राज्य सरकारी आचरण नियमावली, 1956 के उल्लघंन हेतु उत्तरदायी है।"

जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत उपरोक्त आरोप दिनांक 23.10.2013 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उपकेन्द्र खण्ड, आजमगढ़ द्वारा आपको को हस्तगत कराने के लिये उनके कार्यालय के श्री गोपाल नाथ उपाध्याय, रनर को दिनांक 12.11.2013 को भेजा गया। श्री गोपाल नाथ उपाध्याय, रनर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि आपके निवास विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र आवास संख्या–10, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आवास संख्या–10, टाइप चतुर्थ, सारनाथ, वाराणसी में ताला बन्द पाया गया।

आपके उक्त पते पर न मिलने कारण श्री गोपाल नाथ उपाध्याय द्वारा आपके दूसरे पते डा0 विधासागर सिंह, सी–7/62, घोड़ा हास्पिटल कैम्पस, वाराणसी सेनपारा, लहुराबीर, वाराणसी के पते पर गये तो आपकी पत्नी ने बताया कि आप कई दिनों से घर पर नहीं आ रहे है।

पुनः दिनांक 21.11.2013 को उपरोक्त आरोप पत्र दिनांक 23.10.2013 को (संलग्नकों सहित) आपको

क्रमश.....8

हस्तगत कराने के लिये अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उपकेन्द्र खण्ड, 400 के0वी0, आजमगढ़ ने श्री योगेश सिंह, कार्यालय सहायक–III को पुनः उपरोक्त पतों पर भेजा गया, किन्तु श्री योगेश सिंह के आपके विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र आवास संख्या–10, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, आवास संख्या–10, टाइप चतुर्थ, सारनाथ, वाराणसी पर पहुँचने पर ताला लगा पाया गया। श्री सिंह पुनः आपके दूसरे पते डा0 विधासागर सिंह, सी–7/62, घोड़ा हास्पिटल कैम्पस, वाराणसी सेनपारा, लहुराबीर, वाराणसी पर गये उन्हें भी आपकी पत्नी ने बताया कि आप कई दिनों से घर नहीं आ रहे है।

जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा उपरोक्त आरोप पत्र आपको हस्तगत न हो पाने के कारण आरोप पत्र विधिक रूप से तामील कराने हेतु 03 दैनिक समाचार पत्रों – (1) "दैनिक जागरण, वाराणसी दिनांक 05.12.2014 (2) "देववृत्त" आजमगढ़" दिनांक 03.12.2014 एवं (3) "देश की आन", आजमगढ़ दिनांक 26.11.2014 में प्रकाशित किया गया, किन्तु उसके पश्चात् भी आपके द्वारा कोई सूचना/उत्तर/पत्राचार उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट है कि आप जानबूझकर उत्तर नहीं देना चाहतें हैं।

उपरोक्त तिथियों एवं दिनांक 10.07.2011 से लगातार आज तक आप कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रहे है, जिसके दृष्टिगत आपको उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) 1999 के प्रस्तर–3 दीर्घ शास्तियों (तीन) में निहित प्राविधानानुसार आपको ***"सेवा से हटाना जो भविष्य में सेवा से निरहित नहीं करता हो"*** (Removal from service which does not disqualify from future employment) का दण्ड दिया जाना प्रस्तावित है।

अतएव जॉच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की आख्या/आरोप–पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये आपसे एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है कि इस सूचना के प्रकाशन के 14 दिनों के अन्दर अपना अभिकथन/अभ्यावेदन/उत्तर कारपोरेशन (मुख्यालय) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में आपका वॉछित अभिकथन/अभ्यावेदन/उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है तथा आप सेवा में रहने के इच्छुक नहीं है। तद्नुसार आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये आपको सेवा से हटाने, जो भविष्य में ***"सेवा से निरहित नहीं करता हो"*** (Removal from service which does not disqualify from future employment) का दण्ड पारित करने हेतु कारपोरेशन (मुख्यालय) बाध्य् होगा।"

इसके अतिरिक्त कारपोरेशन द्वारा निर्गत उक्त पत्र संख्या–1510, दिनांक 21.06.2018 की प्रति संलग्न करते हुये पत्रांक–511, दिनांक 21.06.2018 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, हाफिजपुर, आजमगढ़ को दो प्रतियों में प्रेषित करते हुये निर्देशित किया गया है कि वह अपने स्तर से श्री गौतम को एक प्रति तामील कराकर, उसकी पावती 07 दिनों के अन्दर कारपोरेशन को वापस करें।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, आजमगढ़ द्वारा कारपोरेशन के पत्र संख्या–1511–शि0जॉ0–05एफ, दिनांक 21.06.2018 के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि श्री गौतम के सी–7/62, घोड़ा हास्पिटल कैम्पस, सोनपारा, लहुराबीर, वाराणसी एवं 400 के0वी0 उपकेन्द्र कालोनी, टाईप चतुर्थ, मकान नं0–08/10, सारनाथ, वाराणसी पर उनके कार्यालय के श्री गोपाल नाथ उपाध्याय, रनर के द्वारा पत्र संख्या–1510– शि0जॉ0–05एफ, दिनांक 21.06.2018 श्री गौतम को प्राप्त कराने हेतु भेजा, परन्तु उक्त दोनों पते पर श्री राजेश कुमार सिंह गौतम, सहायक अभियन्ता नहीं मिले।

कारपोरेशन द्वारा भेजे गये उपरोक्त स्पीड पोस्ट के विषय में, डाक विभाग की वेबसाइड

क्रमश.....9

WWW.indiapost.gov.in के अनुसार श्री गौतम के निम्नलिखित तीन पतों पर पत्रों की तामीली की सूचना प्राप्त हुयी है।

(1) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र,
आज़मगढ़।

(2) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
क्वॉटर नं0–519–सी0डी0,
इन्डियन इन्स्टीट्यूट कालोनी,
मुगलसराय–232101,
(उ0प्र0)।

(3) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
विद्या सागर सिंह,
सी–7/62, घोड़ा हास्पिटल कैम्पस,
सोनपारा लहुराबीर,
वाराणसी।

श्री गौतम से कारपोरेशन को अद्यतन दिनांक 27.07.2018 तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है, जिससे स्पष्ट है कि वह जान बूझकर पत्र/उत्तर/सूचना/लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहते है अथवा उनके पास अपने बचाव हेतु कोई तथ्य नहीं है या वह कारपोरेशन के सेवा करने के इच्छुक नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं आलोक कुमार, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 सक्षम प्राधिकारी होने के नाते श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121), तत्कालीन सहायक अभियन्ता (परिचालन), विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, आजमगढ़, सम्प्रति सहायक अभियन्ता को उनके विरूद्ध प्रश्नगत प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये, उत्तर प्रदेश मूल नियमावली 1942 के नियम 18 तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) 1999 नियमावली के प्रस्तर–3 दीर्घ शास्तियॉ (तीन) में निहित प्राविधानानुसार उन्हें ***सेवा से हटाने, जो भविष्य में सेवा से निरहित नहीं करता हो*** (Removal from service which does not disqualify from future employment) का दण्ड एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है।

आलोक

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पंजीकृत

(1) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र,
आज़मगढ़।

(2) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
क्वॉटर नं0–519–सी0डी0,
इन्डियन इन्स्टीट्यूट कालोनी,
मुगलसराय–232101, (उ0प्र0)।

(3) श्री राजेश कुमार सिंह गौतम (86121),
सहायक अभियन्ता (परिचालन),
विद्या सागर सिंह,
सी–7/62, घोड़ा हास्पिटल कैम्पस,
सोनपारा लहुराबीर,
वाराणसी।

संख्या–1959–(i)–शि0जाँ0–05(एफ)/पाकालि/2018 दिनांक 30.08.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(3) निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (पारेषण–पूर्व), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, इलाहाबाद।
(5) संयुक्त सचिव (अ0प्र0–02), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(6) उप सचिव (अ0प्र0–02ब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(7) उप सचिव (अ0प्र0–3/4), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(8) लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, बाँदा।
(10) जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि आदेश की सूचना का प्रकाशन दैनिक हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक जागरण", लखनऊ, वाराणसी संस्करण (वाराणसी संस्करण में आजमगढ़ जनपद भी कवर करने हेतु), तथा टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी संस्करण), लखनऊ, वाराणसी में प्रकाशन कराकर उसकी कटिंग सहित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें (सूचना संलग्न है)।
(11) संयुक्त सचिव (अनु0कार्य0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(12) उप सचिव (गोपन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(13) अधिशासी अभियन्ता (बेबसाइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(14) समीक्षा अधिकारी (अन्तर्ग्रस्तता) शि0जाँ0–05एफ अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
(15) अभिरक्षण पत्रावली।
(16) सूचनापट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

30/08/18

(जगदीश प्रकाश)
अनु सचिव (शि0जाँ0–05एफ)